



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168668

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7815

सन् 2026

इसरारुल हक उर्फ बाबू और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

शारिक अहमद

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 326 सन् 2020 में, धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (जिसे आगे 'गैंगस्टर्स अधिनियम' कहा गया है), थाना- कोतवाली नगर, जनपद- मऊ के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम ज़मानत की माँग कर रहे हैं:-

i) आवेदकगण को इस प्रकरण में गैंग चार्ट में उल्लिखित एकमात्र मूल मुकदमे के आधार पर झूठा फँसाया गया है और वे उस प्रकरण में पहले से ही अग्रिम ज़मानत पर हैं।

ii) शुरू में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण का नाम नहीं था, लेकिन बाद में पूरक गैंग चार्ट में उनके नाम शामिल किए गए।

iii) गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल मुकदमे के अलावा, आवेदकगण का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताई गई तथ्यों से जुड़ी बातों को नकार नहीं सके।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. आवेदकगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उनके नाम मूल मुकदमे में तैयार किए गए पूरक गैंग चार्ट में सामने आया है। गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मूल मुकदमे में आवेदक अग्रिम ज़मानत पर हैं।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकगण को अग्रिम ज़मानत देना उचित समझता हूँ।

8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकगण का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि आवेदकगण - इसरारुल हक उर्फ बाबू और इरशाद अहमद को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

11 अगस्त, 2026

ए. पांडे